महत्वपूर्ण निर्देश/स्पीड–पोस्ट

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक C 1211 /बा0वि0परि0/निरीक्षण–06/2017–18 दिनॉक: 09 अगस्त, 2017

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी
उत्तर प्रदेश।

विषय : जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयक निदेशालय पत्रांक सी–266/बा0वि0परि0/समाधान/2014–15 दिनांक 28.मई 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अन्तर्गत बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं को लक्षित लाभार्थियों तक प्रभावी ढंग से पहुॅचाने तथा उसमें गुणात्मक सुधार लाने के लिए निरीक्षण सम्बन्धी पूर्व निर्गत निर्देशों को अवक्रमित करते हुये निर्देश जारी किये गये है। साथ ही प्रत्येक संवर्ग यथा मुख्य सेविका, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों हेतु लक्ष्य एवं प्रारूपों का भी निर्धारण किया गया है। उपरोक्त निदेशालय पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या–1 व बिन्दु संख्या–2 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

1– **जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रति सप्ताह 05 आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं 02 परियोजना कार्यालयों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जायेगा।**

2– **प्रत्येक बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा सप्ताह में 05 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।**

3– मुख्य सेविका द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण का मानक यथावत रहेगा अर्थात प्रत्येक मुख्य सेविका द्वारा माह मे 18 दिन तथा प्रतिदिन 01 केन्द्र का निरीक्षण व संचालन किया जायेगा।

मुख्य सेविका तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप पर निरीक्षण के 03 दिन के अन्दर जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निरीक्षण आख्याओं का परीक्षण कर अपने स्तर से निस्तारित किये जाने वाले प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही की जायेगी, गम्भीर प्रकरणों में अग्रिम कार्यवाही के लिए निरीक्षण आख्या की प्रमाणित छायाप्रति व अपनी संस्तुति निदेशालय को ससमय उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्तानुसार मुख्य सेविकाओं, बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जायेगा तथा निरीक्षण आख्या सम्बन्धित को भेजी जायेगी। निरीक्षण में शिथिलता पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

निदेशालय पत्र संख्या सी–288/बा0वि0परि0/निरीक्षण/2015–16 दिनांक 28.मई 2015 के अन्तर्गत निरीक्षण के समय आंगनवाडी केन्द्र का फोटो लेने तथा मासिक सूचना के साथ फोटोग्राफ संलग्न कर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक निर्धारित नवीन प्रारूप–7 पर सूचना उपलब्ध कराने विषयक आदेशों का भी समयबद्ध तरीके से अनुपालन किया जाये। प्रारूप–1 से प्रारूप–7 तक की प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक।